

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
103 / 21	88 एवं 89 RTA	उण्डा	बारां
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
राजेन्द्र	बनाम	राजस्थान सरकार	
वकील :-	श्री सुरेन्द्र मीणा एड0	आदेश पत्रक	वकील:-
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश		विविध संदर्भ

12.08.2021

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 89 आर. टी. एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 30.09.2021 को पेश हो।

*WV*  
उप खण्ड अधिकारी  
बारां

30.9.21

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप खण्ड उपख  
न्याय प्र वकील नारी वस्तु नारी की वीन का आका  
लगवा गरी कावळ इत्यादि के न्याया हे उप न्याय प्र  
कर. वादी का वाद अदल अदली अदल प्रैरी के काउंटे  
लिफ गवा प्र पत्रावली प्रैदल अदल अदल वाद तल्लील  
तल्लील के दखिल दफ्त हो

*WV*  
उप खण्ड अधिकारी  
बारां

